imma

Hindustan

ICWAI

Date: 08-07-2009 | Edition: Delhi | Page: 13 | Source: Bureau | Clip size (cm): W: 11 H: 10

Clip: 1 of 1

बजट ने कॉस्ट एकाउंटेंसी पर किया कुठाराघात

बजट टीम नई दिल्ली

आईसीडब्लूएआई के अध्यक्ष कुनाल बनर्जी ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट के सेक्शन 14ए और 14 एए के अधिकार को कम करने की घोर निंदा की है। एक्साइज ड्यूटी की उगाही करने से संबंधित 14 ए सेक्शन के अधीन आने वाला ऑडिट सामानों का मूल्यांकन करने से संबंधित होता है। 14 एए सेक्शन के अंतर्गत आने वाला ऑडिट सेनवैट क्रेडिट और उसके इस्तेमाल से संबंधित है।

इस तरह के वेरीफिकेशन को मैटीरियल के विश्लेषण के केंद्र में रखा जाता है जिसका संबंध फाइनल आउटपुट से होता है। इस तरह के असाइनमेंट में विशेषज्ञों की जरूरत होती है जिसमें वह कास्ट एकाउंटिंग के सिद्धांतों का पालन करता हुआ काम करता है। पर फाइनेंस बिल ने इसके माध्यम से कॉस्ट एकाउंटेंसी प्रोफेशन की विशेषज्ञता को कम करने की कोशिश की गई है जिसको संसद ने कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटट्स एक्ट में अच्छी तरह से परिभाषित किया है।

बनर्जी ने कहा कि जो कुछ हाल में कॉर्पोरेट जगत में घटा है उसमें पारदर्शिता और पूछताछ की गुंजाइश नजर आती है। कानून बनाने वाली संस्था ने इसमें समान रूप से काम न करते हुए कोताही बरती है। यह कर टैक्स के कानून वाले हिस्से में होना चाहिए था और कॉस्ट एकाउंटेंट्स को बिना देरी किए अकाउंटेंट्स अंडर/सेक्शन 288 के अंतर्गत परिभाषा के तहत पहचान करना चाहिए।

केंद्र सरकार को एक प्रोफेशन को दूसरे प्रोफेशन से अलग नहीं करना चाहिए जब इन दोनों का कानून एक ही तरह से एक कानून द्वारा तैयार किया गया है।